15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
RAJASTHAN RMSC MEDICAL SERVICES CORPORATION

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेलः rmsc.supply2@gmail.com
CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/सप्लाई/2023 3388 दिनांक : 29/9/2023

कार्यालय आदेश

M/s Unicure (India) Ltd, C-22,23, Sector-3, Noida-201301 को निम्न औषधि हेतु क्रयादेश जारी किये गये थे, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	औषधि का नाम	निविदा क्रमांक	क्रयादेश क्रमांक/दिनांक	आदेशित मात्रा	आपूर्तित मात्रा	फर्म को दिये गये नोटिस का विवरण
1	Nitrazepam 10mg Tab IP [NRD-715] (60 days)	10/2022-23	7038/09.03.2023	6800	0	पत्रांक 1157 दिनांक 30.05.2023
			3790/07.10.2022	3000	0	

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरूद्ध आपूर्ति नहीं करने पर उक्तानुसार नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 18.08.2023 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार–विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से दो क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई हैं, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लघंन है।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 18.08.2023 (प्राप्ति पत्र दिनांक 11.09.2023) की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(15) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Unicure (India) Ltd, C-22,23, Sector-3, Noida-201301 को औषधि Nitrazepam 10mg Tab IP [NRD-715] हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(अनुपमा जोरवाल)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04(   )/आरएमएससी/सप्लाई/2023 3388   दिनांक : 29/9/2023
निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/उत्तरप्रदेश।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिकस), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Unicure (India) Ltd, C-22,23, Sector-3, Noida-201301
13. गार्ड फाईल।

विशेषाधिकारी
आर.एम.एस.सी.